



# यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai\_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com



परिपत्र संख्या : 2019-22/59/2020

दिनांक : 31.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों  
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

## सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरण

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र पत्र संख्या 28/165/2020/13 दिनांक 30.3.2020 जारी किया गया है जिसका अनूदित सार इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,  
आपका साथी

(मदन मोहन राय)  
महामंत्री

प्रिय साथियों,

## सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरण

हमारे बैंकों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभों की सरकार द्वारा घोषणा के साथ, भुगतान और वितरण के प्रभावी प्रबंधन के बारे में बहुत सी आशंकाएँ हैं, विशेष रूप से लॉकडाउन की स्थिति और वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए यदि शाखाओं में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसलिए हमने सरकार/वित्तीय सेवायें विभाग और आईबीए के साथ मामले को उठाया।

हमारी चिंताओं को देखते हुए और वर्तमान लॉकडाउन की स्थितियों, सामाजिक दूरी मानक को देखते हुए और शाखाओं में लाभार्थियों को निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, आईबीए ने बैंकों को निम्नानुसार निर्देश दिए हैं :

- भीड़ को प्रबंधित करने के लिए शाखाओं में टोकन प्रणाली लागू करें, प्रत्येक शाखा में क्षमता के अनुसार प्रति दिन लगभग 200 टोकन जारी किए जाने के लिए कहा जाये।
- रूपे कार्ड वाले ग्राहकों को एटीएम आदि से लाभ निकासी के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

कृपया हमारी शाखा इकाईओं को इन निर्देशों को बतायें/सूचित करें ताकि वे तदनुसार स्थिति का प्रबंधन कर सकें।

आईबीए परिपत्र संख्या 8881 दिनांक 30.3.2020 को हमारी इकाईओं के संदर्भ के लिए पृष्ठपश्च पर दिया गया है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी

ह...

सी.एच. वेंकटचलम्  
महामंत्री



## Indian Banks' Association

### SOCIAL BANKING

SB/Cir/COVID-19/2019-20/8881

30<sup>th</sup> March, 2020

**The Chairman, State Bank of India &  
The MD & CEOs of all Member Banks**

Dear Sir/Madam,

**Subject: Direct cash transfer in the light of COVID-19 pandemic and logistics for withdrawal by account-holders**

Please refer to our email dated 26<sup>th</sup> and 28<sup>th</sup> March, 2020 enclosing therewith letter no. 21(23)/2014-FI (Mission) and No. 21 (23) /2014-FI (Mission) respectively, received from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on the captioned Subject.

2. In this connection, banks have been informed that as announced by the Hon'ble Finance Minister in a Press Briefing on 26.3.2020, an amount of Rs. 500/- per month for the next three months, is to be credited to the accounts of all women account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and necessary women PMJDY beneficiary and banks account details, to this effect, have been collected by DFS, MoF.

3. We now wish to inform you that IBA Managing Committee was held today (on 30.03.2020) and it was decided that keeping in view of the on-going lock down and maintaining the prescribed social distancing and sanitization, and ensuring seamlessly withdrawal of the amount by individual beneficiaries from their respective bank accounts, the following measures can be taken:

- a. Banks may implement token system in branches in order to manage crowd. In a day say 200 token (as per individual branch capacity) may be issued to beneficiaries.
- b. Customers having issued RuPay Card may be encouraged to use electronic channels viz. ATMs/AEPS to withdraw cash.

Moreover, we would like to reiterate the following guidelines, inter alia, (issued by DFS) to be ensured by Member Banks:

- i. Adequate liquidity at the bank branches and with the Business Correspondents
- ii. Regular replenishment of ATMs to meet the requirement
- iii. Where required, Mobile ATMs with sufficient cash may be arranged
- iv. SMSs are sent to the beneficiaries regarding time schedule for withdrawal
- v. SMSs may also be sent to the beneficiaries requesting them to utilize digital payment modes with a view to comply with the prescribed safeguards.

Yours faithfully,

**(D.K. Malhotra)**  
Sr. Advisor